न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 11/86/2025 GCMS **संख्या:** 2025/395

पेश दिनांक: 01-10-2025 **निर्णय दिनांक:** 21-05-2026

1— दिनेश कुमार पुत्र भोरेलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बधेरीकंला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1— तहसीलदार, किशनगढबास जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्व तहसीलदार, किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 1774 वाके ग्राम बधेरीकंला तहसील किशनगढबास निर्णय दिनांक 25.07.2025

उपस्थितिः
1— श्री राजेश कुमार शर्मा — वकील अपीलान्ट

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार, किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1774 निर्णय दिनांक 25.07.2025 वाके ग्राम बधेरीकंला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल—तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष नामान्तकरण संख्या 1774 वाके ग्राम बधेरीकंला तहसील किशनगढबास पटवारी हल्का के द्वारा विधिवत दर्ज किया जाकर पीठासीन अधिकारी के संमक्ष पेश किया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि विरूद्व नोट अंकित करते हुऐ नामान्तकरण को खारिज किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 09.09.2025 को पटवारी हल्का के पास नकल लेने के लिऐ गये तब हुई। जानकारी होने पर तुरन्त नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में जो विलम्ब हुआ है, वह जानकारी नही होने के कारण समय गुजरा है, न्यायहित में दिनाक 25.07.2025 से 09.09.2025 तक का समय कन्डोन किया जाना न्यायसंगत है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर विचार किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय को दिनाक 24.09.2025 को पेश की गयी है। जो करीब 02 माह पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.07.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 09.09.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 1774 वाके ग्राम बधेरीकंला तहसील किशनगढबास पटवारी हल्का द्वारा विधिवत दर्ज किया जाकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि विरूद्व नोट अंकित करते हुऐ नामान्तकरण को खारिज किया गया है, तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा पंजिकृत दस्तावेज संख्या 202403359101533 दिनाक 23.08.2024 के आधार पर दिनाक 26.06.2025 दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाक 27.06.2025 को नोट अंकित करते हुऐ नामान्तकरण को खारिज किया गया है, क्योकि वर्णित आराजी की किस्म तालाब अंकित है, जो प्रतिबंधित भूमियो की क्षेणी में आता है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 1774 बधेरीकंला तहसील किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.07.2025 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)